**प्रेस नोट** **03.03.2023**

## संगठित अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दो गांजा तस्करों संतोष जायसवाल तथा संजय जायसवाल की कुल लगभग 06 करोड़ रूपये कीमती भूखण्ड, मकान व वाहनों को अन्तर्गत धारा 14(1) गिरोहबन्द अधिनियम जनपद मऊ पुलिस द्वारा किया गया कुर्क–

संगठित अपराध/अपराधियों के विरुद्ध मऊ पुलिस प्रशासन द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 03.03.2023 को उपजिलाधिकारी घोसी मय राजस्व टीम व क्षेत्राधिकारी घोसी मय भारी पुलिस बल की उपस्थिति में जिला मजिस्ट्रेट जनपद मऊ के आदेश दिनांक 27.02.2023 के क्रम में संतोष जायसवाल व संजय जायसवाल पुत्रगण छेदीलाल निवासीगण रईसा थाना कोपागंज जनपद मऊ हाल पता बहरामपुर थाना मधुबन जनपद मऊ के विरूद्ध थाना कोपगंज में मु0अ0सं0 441/22 धारा 3(1) गिरोहबन्द अधिनियम का अभियोग पंजीकृत है तथा अभियुक्तगण अपराधिक मानसिकता के व्यक्ति है जो लगभग डेढ दशक से अपराध में संलिप्त है। यह गिराहे अपने आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए गांजा तस्करी करने व लूट/छिनैती जैसे संगीन अपराध कारित कर अवैध तरीके के व्यवसाय से अपराधिक बल का लाभ पाते अपने व अपनी पत्नी व अपने लड़को के नाम से अकूत धन इकट्ठा किया गया है।

अभियुक्त संजय जायसवाल के द्वारा अपराध से अर्जित धन से अपने व अपनी पत्नी नीलम देवी के नाम मौजा उफरौली तहसील मधुबन जनपद मऊ स्थित गाटा संख्या 248 मे रकबा 0.535 हे0 में से 28 व 56 कड़ी भूमी क्रय कर उसपर आलिशान मकान निर्मित किया गया तथा अपने नाम मौजा हिराजपट्टी तहसील मधुबन स्थित गाटा संख्या 67 रकबा 0.306 हे0 मे से रकबा 30 कड़ी कर उसपर मकान का निर्माण कराया गया जिसकी कुल कीमत 02 करोड़ 42 लाख 47 हजार 645 रूपया है।

अभियुक्त संतोष जायसवाल द्वारा अर्जित किये गये अवैध धन से अपने व अपनी पत्नी ममता जायसवाल व लडके रवि एवं राहुल के नाम से मौजा बहरामपुर तहसील मधुबन स्थित आराजी संख्या 213 रकबा 0.535 हे0 में से 0.108 हे0 व 0.072 हे0 व अराजी संख्या 318 में रकबा 0.040 हे0, आराजी संख्या 558 में 0.833 हे0, आराजी संख्या 382 रकबा में 0.068 व 230 कड़ी व 184 कड़ी क्रय की गयी तथा वाहन 02 अदद पैशन प्रो मोटरसाइकिल, एक ट्रक, एक ट्रैक्टर क्रय किया गया गया है जिसकी कुल अनुमानित कीमत 03 करोड़ 66 लाख 44 हजार 842 रूपये है। **इस तरह उक्त दोनो की कुल 06 करोड़ 08 लाख 92 हजार 487 रूपये कीमती चल/अचल सम्पत्ति को आज दिनांक 03.03.2023 को कुर्क किया गया।**

## मुख्तार अंसारी द्वारा थाना दक्षिणटोला क्षेत्रान्र्तगत अवैध रुप से निर्माण करायी गई लगभग एक करोड़ रुपये कीमती बहुमंजिला मकान को कराया गया ध्वस्त–

संगठित अपराध/अपराधियों के विरुद्ध मऊ पुलिस प्रशासन द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 03.03.2023 को राजस्व टीम व क्षेत्राधिकरी मधुबन व भारी पुलिस बल की उपस्थित में थाना दक्षिणटोला क्षेत्रान्र्तगत मौजा खालसा उत्तर दक्षिणटोला में मुख्तार अंसारी व उसके पुत्रों उमर अंसारी व अब्बास अंसारी निवासीगण दर्जीटोला यूसुफपुर जनपद गाजीपुर द्वारा अवैध रुप से निर्माण करायी गई लगभग एक करोड़ रुपये कीमती बहुमंजिला मकान को ध्वस्त कराया गया। उल्लेखनीय है कि गाटा सं0 870 व 871 आदि को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अर्न्तगत दिनांक 07.06.2021 को कुर्क किया जा चुका है।

**50 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब के साथ एक अभियुक्ता गिरफ्तार–**

दिनांक 02.03.2023 को थाना रामपुर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान लखनौर से सुशीला राजभर पत्नी श्याम सुन्दर निवासी लखनौर थाना रामपुर जनपद मऊ के कब्जे से तीन अदद प्लास्टिक के डिब्बे में 50 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्ता के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 17/23 धारा 60 आबकारी अधिनिमय का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

**02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–**

आज दिनांक 03.03.2023 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना चिरैयाकोट पुलिस द्वारा कमथरी नूरपुर के पास से मु0अ0सं0 27/23 धारा 498ए,304बी भादवि0 व धारा 3/4 डीपी एक्ट में वांछित अभियुक्त फैज अहमद पुत्र सन्नू खान निवासी गतोपुर थाना चिरैयाकोट, थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 393/22 धारा 363,366,376 भादवि0 व धारा 5/6 पोक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त फैजान पुत्र जियाउद्दीन निवासी डोडापुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

**शांति भंग की आशंका में 29 व्यक्ति व 02 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार–**

आज दिनांक 03.03.2023 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा राजेश शर्मा, मून्ना शर्मा, अनिरूद्ध, सम्भू, अंचल शर्मा निवासीगण मलपुर लोहराई, रोहित कुमार, सम्भू निवासीगण मेउडीकला थाना हलधरपुर, थाना कोपागंज पुलिस द्वारा बहादुर गुप्ता निवासी चन्दनपुर थाना कोपागंज, थाना मधुबन पुलिस द्वारा नीरज साहनी निवासी कन्धरपुर, रामप्यारे साहनी निवासी लोहदरा थाना रामपुर, थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा संदीप चौहान निवासी उम्मनपुर, आदित्य कुमार सिंह निवासी पिपक्काबाद, अनिल निवासी लघ्घूपुर, जितेन्द्र निवासी मुउलीपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़, साहब चौहान निवासी थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर, दुर्गेश यादव निवासी नेवादा थाना चिरैयाकोट, थाना कोतवाली पुलिस द्वारा मो0 नासिर, शब्बीर, नौशाद, अब्दुल्ला, नूर मुहम्मद, पप्पू, टिल्लू, बदरे आलम, इरशाद, मो0 फकरूद्दीन निवासीगण बड़ी रहजनिया, कन्हैया, राजन सिंह, एहसान निवासीगण थाना कोतवाली जनपद मऊ को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी तथा वारंटी अभियुक्तगण थाना कोपागंज पुलिस द्वारा राजेश यादव पुत्र राजू निवासी इटौरा डोरीपुर थाना कोपागंज, थाना मधुबन पुलिस द्वारा कैलाश मल्लाह पुत्र भजन मल्लाह निवासी थाना मधुबन जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।